BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

भारत- न्यूजीलैंड का मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर

27 अप्रैल, 2026

प्रमुख बातें

- भारत- न्यूजीलैंड एफटीए भारतीय निर्यात से शुल्क को **100%** मुक्त करता है।
- **20** बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता से दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग में मजबूती आएगी।
- यह समझौता एमएसएमई और महिला-आधारित उद्योगों को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर देता है।
- भारत दुग्ध और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने हितों को संरक्षित रखता है, श्रम आधारित क्षेत्रों जैसे कपड़ा और चमड़ा के लिए बड़ी उपलब्धि।
- न्यूजीलैंड ने पहली बार स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्रों की सुविधा उपलब्ध कराई।
- एसटीईएम स्नातकों, कुशल पेशेवरों के लिए विद्यार्थियों का आवागमन और पढ़ाई के बाद काम करने के लिए वीजा की सुविधा; **5,000** से अधिक कुशल रोजगारों के लिए वीजा का नया मार्ग खुला।

प्रस्तावना

भारत ने आर्थिक विकास सुदृढ़ करने, रोजगार निर्माण करने और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वैश्विक व्यापार साझेदारियों का लगातार विस्तार किया है। बीते कुछ वर्ष में 38 विकसित देशों के साथ 9 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें से आज एक नवीनतम समझौता न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, जो द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह एक व्यापक फ्रेमवर्क है, जिसमें बाजार पहुंच, कृषि उत्पादकता, निवेश, प्रतिभा का आवागमन, खेल, पर्यटन और जन-संबंधों में सहयोग शामिल है। यह एफटीए दोनों देशों के निर्माताओं, किसानों, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), महिला उद्यमियों, छात्रों और कुशल पेशेवरों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है।

भारत और न्यूजीलैंड ने 16 मार्च 2025 को मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत की घोषणा की और रिकॉर्ड 9 महीनों में इसे पूरा कर लिया, जिसके चलते यह अब तक का सबसे तेजी से पूरा होने वाला मुक्त व्यापार समझौता बन गया। एफटीए पर हस्ताक्षर से न्यूजीलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच और टैरिफ में छूट में बढ़ोतरी होगी, साथ ही यह विस्तृत ओशिनिया और प्रशांत द्वीप बाजारों के लिए एक प्रवेश द्वार के तौर पर कार्य करेगा। यह समझौता भारत के लिए कुशल कार्यबल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने के मौके खोलता है, साथ ही आयुष जैसे क्षेत्रों और योग प्रशिक्षकों, भारतीय रसोइयों और संगीत शिक्षकों जैसी सेवाओं के साथ-साथ आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्माण जैसे क्षेत्रों में भविष्य में सहयोग की संभावनाएं भी खोलता है।

भारत-न्यूजीलैंड: द्विपक्षीय व्यापार संबंध

भारत और न्यूजीलैंड की साझेदारी आर्थिक परिस्थितियों और मजबूत जन-संबंधों पर आधारित है। वर्तमान में, न्यूजीलैंड ओशिनिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

49,380 अमेरिकी डॉलर की आय के साथ, न्यूजीलैंड ओशिनिया के उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में एक है। 2024 में, न्यूजीलैंड का आयात 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर और निर्यात 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। न्यूजीलैंड अपनी जीडीपी का लगभग **8%** वार्षिक रूप से विदेशों में निवेश करता है, और मार्च 2025 तक कुल विदेशी निवेश का मूल्य 422.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के लगभग **300,000** लोग और प्रवासी भारतीय रहते हैं, जो इसकी कुल जनसंख्या का लगभग 5% हैं। यह प्रवासी समुदाय एक सांस्कृतिक और आर्थिक ब्रिज का काम करता है, जो मजबूत द्विपक्षीय संबंधों और भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की मांग को प्रोत्साहन देता है।

यह मुक्त व्यापार समझौता नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से बनाए गए सामाजिक-आर्थिक आधार पर आधारित है।

मर्चेंडाइज व्यापार: 2023-24 में 873 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 49% की बढ़ोतरी दर्शाता है।

न्यूजीलैंड को माल निर्यात: 2024-25 में बढ़कर 711 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 32% की बढ़ोतरी दर्शाता है।

सेवा व्यापार: भारत से न्यूजीलैंड को सेवा निर्यात 2024 में 13% बढ़कर 634 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। प्रमुख क्षेत्रों में यात्रा, आईटी और व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2015-2016 में 855 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-2025 में 1298 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। निर्यात में 130% की बढ़ोतरी हुई, जबकि आयात में 10 वर्ष में केवल 7.21% की बढ़ोतरी हुई। 2024-25 में, भारत से न्यूजीलैंड को निर्यात न्यूजीलैंड से आयात से अधिक था, जिससे देश के साथ सकारात्मक व्यापार संतुलन बना रहा।

मुक्त व्यापार समझौते की प्रमुख विशेषताएं

- मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात पर लगने वाला **100%** शुल्क खत्म कर दिया गया है।
- 15 वर्ष में **20** बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को सुदृढ़ करती है।
- कृषि उत्पादकता साझेदारी के माध्यम से, एफटीए किसानों के साथ मिलकर उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने का काम करता है।
- एफटीए वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों सहित श्रम-प्रधान क्षेत्रों में शून्य शुल्क के माध्यम से एमएसएमई और रोजगार को प्रोत्साहन देता है।
- भारत ने 70.03% टैरिफ लाइनों में बाजार पहुंच की प्रस्तुति रखी है, जबकि 29.97% टैरिफ लाइनों को इससे बाहर रखा है, जो न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय व्यापार का 95% हिस्सा है।
- कुछ उत्पादों को इससे बाहर रखा गया है, जैसे कि दुग्ध उत्पाद (दूध, क्रीम, मट्ठा, दही, पनीर आदि), पशु उत्पाद (भेड़ के मांस को छोड़कर), वनस्पति उत्पाद (प्याज, चना, मटर, मक्का, बादाम आदि), चीनी, कृत्रिम शहद, पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीव वसा और तेल, हथियार और गोला-बारूद, रत्न और आभूषण, तांबा और उससे बनी वस्तुएं (कैथोड, कारतूस, छड़, बार, कॉइल आदि), एल्युमिनियम और उससे बनी वस्तुएं (पिंड, बिलेट, तार की छड़ें) आदि।
- **30.00%** टैरिफ मदों पर तत्काल शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा, जिनमें लकड़ी, ऊन, भेड़ का मांस, चमड़ा (कच्ची खाल) आदि शामिल हैं।

- 35.60% टैरिफ को 3, 5, 7 और 10 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, जिनमें पेट्रोलियम तेल, माल्ट का अर्क, वनस्पति तेल, चुनिंदा विद्युत और यांत्रिक मशीनरी, पेप्टोन आदि शामिल हैं।
- 4.37% उत्पादों, जैसे शराब, दवाइयां, पॉलिमर, एल्युमीनियम, लोहा और इस्पात से बने उत्पाद आदि, पर शुल्क में कमी की गई है।
- 0.06% उत्पाद, जिनमें मानुका शहद, सेब, कीवी फल और एल्ब्यूमिन (दूध एल्ब्यूमिन सहित) शामिल हैं, शुल्क दर कोटा के अंतर्गत आते हैं।

भारतीय वस्तुओं के लिए बेहतर बाजार पहुंच

मुक्त व्यापार समझौते से भारत को होने वाले लाभ

- मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के तहत न्यूजीलैंड को भारत के **100%** निर्यातों पर शुल्क-मुक्त पहुंच उपलब्ध है, जिसमें सभी प्रकार के शुल्क शामिल हैं। इससे लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और रोजगार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
- वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी होगी।
- भारत अपने विनिर्माण क्षेत्र के लिए लकड़ी के लट्ठे, कोकिंग कोयला और धातुओं के अपशिष्ट और स्क्रैप सहित शुल्क-मुक्त इनपुट प्राप्त की, जिससे उत्पादन लागत कम होगी और भारतीय उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
- व्यापार बाधाओं में कमी और नियामकीय निश्चितता से वस्त्र, परिधान, इंजीनियरिंग सामान, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए भारतीय विनिर्माण और वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण को मजबूती मिलेगी।
- एमएसएमई के लिए संरचित सहयोग में व्यापार से संबंधित जानकारी तक बेहतर पहुंच, निर्यात तत्परता कार्यक्रम और न्यूजीलैंड के एसएमई इकोसिस्टम के साथ संबंध शामिल हैं, जिसमें विशेष रूप से स्टार्टअप और महिलाओं और युवाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

कृषि, प्रौद्योगिकी सहयोग और किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए लाभ

- न्यूजीलैंड ने भारत में कीवी फल, सेब और शहद के उत्पादकों की उत्पादकता, गुणवत्ता और क्षेत्रीय क्षमताओं में सुधार लाने के लिए इन फलों के लिए केंद्रित कार्य योजनाओं पर सहमति जताई है।
- इस सहयोग में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, एडवांस रोपण सामग्री, उत्पादकों के लिए क्षमता निर्माण, सहयोगात्मक अनुसंधान, बाग प्रबंधन, कटाई के बाद की प्रक्रियाओं, आपूर्ति श्रृंखलाओं और खाद्य सुरक्षा के लिए तकनीकी सहायता शामिल है।
- सेब उत्पादकों और संपोषित मधुमक्खी पालन प्रथाओं से जुड़ी परियोजनाएं उत्पादन और गुणवत्ता मानकों को बढ़ाएंगी।
- इसके साथ ही भारत में न्यूजीलैंड से चयनित कृषि उत्पादों (सेब, कीवी, मनुका शहद) और एल्ब्यूमिन के लिए बाजार पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। यह पहुंच न्यूनतम आयात मूल्य और

मौसमी आयात के साथ टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) प्रणाली के माध्यम से प्रबंधित की जाएगी, जिससे घरेलू किसानों की सुरक्षा के साथ-साथ उपभोक्ताओं को विकल्प भी मिल सकेंगे। सभी टीआरक्यू कृषि उत्पादकता कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े हैं और एक संयुक्त कृषि उत्पादकता परिषद् की ओर से इनकी निगरानी की जाती है, जो संवेदनशील घरेलू कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा के साथ-साथ बाजार पहुंच को संतुलित करती है।

- कृषि के अंतर्गत सहयोग के क्षेत्रों में बागवानी, शहद उत्पादन, वानिकी, पशुधन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और शराब क्षेत्र भी शामिल हैं।

वस्तुओं से परे बेहतर होते अवसर

सेवाएं

- न्यूजीलैंड की ओर से अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव: 118 सेवा क्षेत्रों में प्रतिबद्धता, जिनमें से 139 क्षेत्रों में सर्वोच्च राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा प्राप्त है।
- स्वास्थ्य एवं पारंपरिक चिकित्सा: न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत के साथ आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं के व्यापार को सुगम बनाया है। यह ऐतिहासिक प्रावधान भारत की आयुष प्रणालियों की वैश्विक मान्यता को प्रोत्साहन देता है, चिकित्सा मूल्य यात्रा में सहयोग करता है, स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग को प्रोत्साहित करता है और स्वास्थ्य, कल्याण

एवं पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है। यह माओरी स्वास्थ्य पद्धतियों के साथ-साथ भारत के आयुष विषयों (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सोवा-रिग्पा, सिद्ध और होम्योपैथी) को प्रमुखता प्रदान करता है।

आवागमन एवं शिक्षा

- छात्रों का आवागमन: न्यूजीलैंड ने किसी भी देश के साथ छात्रों के आवागमन और शिक्षा के बाद काम के लिए वीजा पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय छात्र अध्ययन के दौरान प्रति सप्ताह 20 घंटे तक काम कर सकते हैं, भले ही भविष्य में नीति में बदलाव हो, और उन्हें पढ़ाई के बाद काम के लिए वीजा की अवधि बढ़ाई जाएगी (एसटीईएम स्नातक: 3 वर्ष; स्नातकोत्तर: 3 वर्ष तक; डॉक्टरेट: 4 वर्ष तक)।
- व्यावसायिक अवसर: एफटीए के तहत एक नया अस्थायी रोजगार प्रवेश (टीईई) वीजा मार्ग स्थापित किया गया है, जिसमें कुशल भारतीयों के लिए 3 साल तक के प्रवास हेतु 5,000 वीजा का कोटा निर्धारित है। भारत के लिए रुचि के क्षेत्रों में आयुष चिकित्सक, योग प्रशिक्षक, भारतीय रसोइये और संगीत शिक्षक जैसे प्रतिष्ठित व्यवसाय शामिल हैं। अन्य रुचि के क्षेत्रों में आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्माण भी शामिल हैं।
- वर्किंग हॉलिडे वीजा: प्रतिवर्ष 1,000 युवा भारतीय 12 महीने की अवधि के लिए न्यूजीलैंड में बहु-प्रवेश वीजा का लाभ उठा सकते हैं।
- ये प्रावधान भारतीय युवाओं और पेशेवरों को वैश्विक अनुभव प्राप्त करने के अभूतपूर्व मौके प्रदान करते हैं।

निवेश और आर्थिक सहयोग

एफडीआई प्रतिबद्धता: न्यूजीलैंड भारत में **20** बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक संबंध मजबूत होंगे।

निवेश, अनुसंधान और नवाचार, प्रौद्योगिकी प्रवाह और कौशल विकास, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सेवाओं और आधुनिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में, को प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

निवेश वितरण में किसी भी कमी को दूर करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए समझौते में पुनर्संतुलन अनुच्छेद शामिल किया गया है, जिससे ठोस और स्थिर आर्थिक परिणाम सुनिश्चित हो सकें।

जैविक प्राथमिक उत्पाद: इस समझौते के तहत दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक मान्यता व्यवस्था लागू की जाएगी। जिन जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने की उम्मीद है उनमें बासमती चावल, अलसी, अरेबिका चेरी, इसबगोल, सोयाबीन तेल खली, जैविक काली चाय आदि शामिल हैं।

तकनीकी सहायता: आयुष, ऑडियो विजुअल उद्योग, पर्यटन, खेल और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में सहयोग पर सहमति बनी है। यह एफटीए भारत की आयुष प्रणालियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन देता है, चिकित्सा महत्व वाली यात्राओं को प्रोत्साहित करता है और भारत को वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित करता है।

सांस्कृतिक एवं पारंपरिक ज्ञान

- संस्कृति, व्यापार, पारंपरिक ज्ञान और आर्थिक सहयोग पर समर्पित परिच्छेद दोनों पक्षों के लोगों की आर्थिक और सांस्कृतिक आकांक्षाओं को साकार करने और आगे बढ़ाने के लिए पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन देता है।
- न्यूजीलैंड के स्वदेशी माओरी समुदायों के साथ जुड़ाव का उद्देश्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी सम्मान को प्रोत्साहन देना है। इससे भारत की सॉफ्ट पावर और उसकी विरासत की वैश्विक पहचान मजबूत होती है।

नियामक एवं संस्थागत प्रावधान

- बौद्धिक संपदा अधिकार: भारत के भौगोलिक संकेतकों (जीआई) को यूरोपीय संघ के स्तर का संरक्षण प्रदान करने के लिए न्यूजीलैंड की ओर से 18 महीनों के भीतर अपने कानूनों में संशोधन करने की बाध्यकारी प्रतिबद्धता।
- उत्पाद विशिष्ट उत्पत्ति नियम (पीएसआर): समझौता उत्पत्ति नियमों के उल्लंघन, दुरुपयोग या जालसाजी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए उत्पाद विशिष्ट उत्पत्ति नियमों (पीएसआर) का एक संतुलित और सुदृढ़ फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
- इस समझौते में स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (एसपीएस) और व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) से संबंधित विशेष अध्याय शामिल हैं, जो पारस्परिक आधार पर बाजार पहुंच आवेदनों की त्वरित प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, प्रमाणन और आयात परमिट प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक एसपीएस प्रमाणन का प्रावधान करते हैं। इससे वैश्विक बाजार पहुंच में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी, लेनदेन लागत कम होगी और आवश्यक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करते हुए सुगम बाजार पहुंच को बढ़ावा मिलेगा।
- सीमा शुल्क एवं व्यापार सुगमीकरण: मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) में व्यापार को सरल बनाने के व्यापक उपाय शामिल हैं, जिनमें **48** घंटों के भीतर मानक कार्गो क्लीयरेंस, एक्सप्रेस शिपमेंट और नाशवान वस्तुओं के लिए **24** घंटों के भीतर क्लीयरेंस शामिल है। समझौते में अधिकृत आर्थिक संचालकों (ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स), स्वचालन और पेपरलेस सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम का भी प्रावधान है। इससे सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण होता है, जिससे व्यापार भागीदारों के बीच व्यापार में पूर्वानुमान, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित होती है।

सेक्टर आधारित मुख्य बिंदु

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) कई क्षेत्रों में शुल्क मुक्त पहुंच सुनिश्चित करता है। इन लाभों से भारत के निर्यात को प्रोत्साहन मिलने, रोजगार निर्माण होने और ओशिनिया क्षेत्र में भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होने की उम्मीद है।

क्षेत्र	भारत का निर्यात	टैरिफ कवरेज	प्रभाव और अवसर
कृषि	भारत का वैश्विक निर्यात 2024-25 में 51.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2023-24 के 48.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 7.3% अधिक है। न्यूजीलैंड को निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 के 95.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 108.21	अधिकतम 5% टैरिफ की कमी	प्राथमिक एवं अर्ध-प्रसंस्कृत सब्ज़ियाँ: सूखे प्याज, संरक्षित सब्ज़ियाँ और अर्ध-प्रसंस्कृत उत्पाद ताज़ी उपज और बागवानी निर्यात को बढ़ावा देते हैं। तेल, वसा एवं विशिष्ट उत्पाद: खाद्य तेल, मिठाई, आइसक्रीम, प्रोटीन उत्पाद और पशु आहार विशिष्ट, प्रीमियम और मूल्यवर्धित कृषि उत्पादों के निर्यात को समर्थन देते हैं। अनाज: भारतीय अनाज निर्यात की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ: तैयार और

	मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।		प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को लाभ पहुँचाते हैं, जिससे भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र मजबूत होता है।
सामुद्रिक	वित्त वर्ष 2025 में भारत का वैश्विक निर्यात 7.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2024 में 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसी अवधि में न्यूजीलैंड को निर्यात 1535 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1589 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।	एफटीए से पहले अधिकतम 5% टैरिफ, अब शून्य कर दिया गया है	एफ के तहत शून्य शुल्क पहुंच से उच्च बाजार पहुंच और निर्यात वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इस समझौते से मछली पकड़ने वाले समुदायों और समुद्री उत्पाद निर्यातकों को लाभ होने की उम्मीद है, जिसमें तटीय राज्यों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। एफ से झींगा निर्यात को मजबूती मिलने के साथ-साथ समुद्री खाद्य उत्पादों की व्यापक श्रेणी में विविधता लाने की भी उम्मीद है।
वस्त्र एवं परिधान	भारत का वैश्विक निर्यात 2024-25 में 36.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2023-24 के 34.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 6.1% अधिक है। इसी अवधि में न्यूजीलैंड को निर्यात 98.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 103.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।	एफटीए से पहले अधिकतम टैरिफ 10% तक थे, अब शून्य-शुल्क बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है	न्यूजीलैंड का विश्व से वस्त्र और परिधान आयात औसतन 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है। इस क्षेत्र से महिला श्रमिकों और लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए महत्वपूर्ण रोजगार सृजन की उम्मीद है। विस्तारित बाजार पहुंच से उन्हें लाभ मिलने की संभावना है।

इंजीनियरिंग क्षेत्र	वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का वैश्विक निर्यात 153.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में न्यूजीलैंड को निर्यात 136.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।	एफटीए से पहले औसत अधिकतम टैरिफ 10% तक था, अब इसे समाप्त कर दिया गया है।	न्यूजीलैंड का विश्व से इंजीनियरिंग आयात औसतन 23.3 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। टैरिफ हटाने से कीमतों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार होगा। इससे विनिर्माण समूहों में रोजगार सृजित होने और भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुओं की कीमतों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की उम्मीद है।
चमड़ा	भारत का वैश्विक निर्यात 2024-25 में 3.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। न्यूजीलैंड को निर्यात 2024-25 में 6.23 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।	एफटीए से पहले अधिकतम टैरिफ 10% तक था, अब इसे शून्य कर दिया गया है, जिसमें मध्यवर्ती और तैयार उत्पाद दोनों शामिल हैं।	इस कदम से प्रमुख उत्पादक राज्यों में चमड़ा निर्माताओं और कारीगरों को लाभ होगा, साथ ही इस क्षेत्र में कार्यरत लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और महिला श्रमिकों के लिए अवसर भी मिलेंगे।
जूते	भारत का वैश्विक निर्यात 2024-25 में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। न्यूजीलैंड को निर्यात 2024-25 में 2.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।	एफटीए से पहले अधिकतम टैरिफ 10% तक था, अब इसे शून्य कर दिया गया है	टैरिफ हटाने से कीमतों में प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय सुधार होने और कीमत के प्रति संवेदनशील न्यूजीलैंड के बाजार में मांग बढ़ने की उम्मीद है।
खेल सामग्री	भारत का वैश्विक निर्यात 2024-25 में 571 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। न्यूजीलैंड को निर्यात 2024-25 में 4.2 मिलियन अमेरिकी	एफटीए से पहले टैरिफ 5% तक था, अब इसे शून्य कर दिया गया है	इस समझौते से खेल सामग्री निर्माताओं और श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है, विशेष रूप से स्थापित उत्पादन समूहों में।

	डॉलर रहा।		
औषधीय उत्पाद	भारत का वैश्विक निर्यात 2024-25 में 24.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2023-24 के 22.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 10.8% अधिक है। न्यूजीलैंड को निर्यात 2024-25 में 57.51 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।	एफटीए से पहले अधिकतम टैरिफ 5% तक था, अब इसे शून्य कर दिया गया है।	पिछले तीन वर्षों में न्यूजीलैंड का विश्व से औषधियों का आयात औसतन 1.4 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। यह नीति तुलनीय नियामकों से जीएमपी और जीसीपी निरीक्षण रिपोर्टों की स्वीकृति को सक्षम बनाकर औषधियों और चिकित्सा उपकरणों तक पहुंच को सुगम बनाती है। इससे दोहराव वाले निरीक्षण कम होंगे, अनुपालन लागत कम होगी और उत्पाद अनुमोदन में तेजी आएगी।
प्लास्टिक एवं उससे बने उत्पाद	वित्त वर्ष 2025 में भारत का वैश्विक निर्यात 8.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इसी अवधि में न्यूजीलैंड को निर्यात 13.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।	एफटीए से पहले औसत शुल्क 5% तक था, अब इसे समाप्त कर दिया गया है।	इस समझौते से भारतीय निर्यात की पैठ बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है, खासकर लागत-प्रतिस्पर्धी और अनुकूलित उत्पाद क्षेत्रों में।
रत्न एवं आभूषण	वित्त वर्ष 2025 में भारत का वैश्विक निर्यात 29.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इसी अवधि के दौरान न्यूजीलैंड को निर्यात 16.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर रहा।	एफटीए से पहले टैरिफ 5% तक था, अब इसे शून्य कर दिया गया है।	एफटीए इन शुल्कों को समाप्त करता है, जिससे मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है, विशेष रूप से तैयार और अर्ध-तैयार आभूषण क्षेत्रों में। एफटीए से आभूषण निर्माताओं और कारीगरों को लाभ होने की उम्मीद है, विशेष रूप से स्थापित उत्पादन केंद्रों में।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विद्युत मशीनरी	वित्त वर्ष 2025 में भारत का वैश्विक निर्यात 77.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इसी अवधि के दौरान न्यूजीलैंड को निर्यात 68.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर रहा।	एफटीए से पहले टैरिफ 5% तक था, अब इसे शून्य कर दिया गया है, जिसमें सभी टैरिफ लाइनें शामिल हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन पर वर्तमान में गैर-शून्य शुल्क लागू हैं।	एफटीए से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल विनिर्माण समूहों में रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
रासायनिक एवं इससे जुड़े उत्पाद	वित्त वर्ष 2025 में भारत का वैश्विक निर्यात 64.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इसी अवधि के दौरान न्यूजीलैंड को निर्यात 95.79 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर रहा।	एफटीए से पहले टैरिफ 5% तक था, अब इसे शून्य कर दिया गया है।	एफटीए विशेष रसायनों, कार्बनिक मध्यवर्ती और उन्नत फॉर्मूलेशन जैसे उच्च मूल्यवर्धित क्षेत्रों में विविधीकरण का समर्थन करता है।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के तहत राज्यवार लाभ

प्रदेश	प्रमुख लाभान्वित क्षेत्र	न्यूजीलैंड के बाजार तक पहुंच से अपेक्षित लाभ की प्रकृति
गुजरात	पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन, प्लास्टिक, रत्न एवं आभूषण	जामनगर, दहेज और सूरत से थोक निर्यात को प्रोत्साहन; बेहतर मार्जिन और उच्च मूल्य वाले रसायनों और तैयार आभूषणों में विविधीकरण।
महाराष्ट्र	फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कलपुर्जे, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, रसायन	मुंबई, पुणे और नासिक से निर्यात बढ़ाने के लिए शून्य टैरिफ; वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में मजबूत एकीकरण और जेनेरिक्स और ऑटोमोटिव क्षेत्रों को प्रोत्साहन।

पंजाब	बासमती चावल, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, खेल सामग्री, हस्त उपकरण	कृषि आधारित निर्यात और एमएसएमई (जालंधर) के विस्तार के लिए 5-10% टैरिफ हटाना; प्रीमियम खाद्य निर्यात और ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहन।
हरियाणा	ऑटोमोबाइल, ऑटो कलपुर्जे, बासमती चावल	बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता (2-4% टैरिफ हटाए गए); गुरुग्राम और मानेसर ऑटो क्लस्टर और कृषि-विनिर्माण संबंधों को लाभ।
उत्तर प्रदेश	चमड़े के उत्पाद, कालीन, हस्तशिल्प	उच्च टैरिफ हटाने (6-10%) से कानपुर, मुरादाबाद और भदोही से निर्यात को बढ़ावा; एमएसएमई और कारीगर आधारित क्षेत्रों को मजबूत लाभ।
तमिलनाडु	वस्त्र, परिधान, चमड़ा, ऑटो कलपुर्जे	8-10% टैरिफ हटाने से बड़ा लाभ; तिरुप्पुर और कोयंबटूर कपड़ा क्लस्टर का विस्तार; बेहतर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता। एमएसएमई को टैरिफ हटाने (2-4%) से लाभ। एनसीआर (नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद) में क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूती मिली
दिल्ली (एनसीटी)	मशीनरी, विद्युत सामग्री, रसायन	कृषि और उच्च-तकनीकी निर्यात को प्रोत्साहन; शून्य टैरिफ से कॉफी और बेंगलुरु स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार
कर्नाटक	फार्मास्यूटिकल्स, कॉफी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी	दार्जिलिंग चाय के लिए उच्च निर्यात प्राप्ति; टैरिफ हटाने से एमएसएमई इंजीनियरिंग क्लस्टरों को लाभ (2-6%) मिलेगा
पश्चिम बंगाल	चाय, इंजीनियरिंग सामग्री, मशीनरी	बेहतर मूल्यवर्धन और निर्यात प्राप्ति; कृषि प्रसंस्करण और ग्रामीण आय में बढ़ोतरी
मध्य प्रदेश	तिलहन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, धातु उत्पाद	झींगा और समुद्री भोजन के निर्यात को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन; प्रसंस्कृत समुद्री उत्पादों और फार्मा के लिए उच्च मूल्य प्राप्ति
आंध्र प्रदेश	समुद्री उत्पाद, फल, फार्मा	जयपुर क्लस्टरों से निर्यात में बढ़ोतरी; टैरिफ हटाने के कारण विशिष्ट वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार
राजस्थान	रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, पत्थर उत्पाद	हैदराबाद फार्मा हब को मजबूती; वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण और कृषि-निर्यात विविधीकरण में बढ़ोतरी
तेलंगाना	फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, हल्दी	काली मिर्च और इलायची की उच्च मांग; मूल्यवर्धित मसालों के निर्यात और तटीय आजीविका को प्रोत्साहन

केरल	मसाले, समुद्री उत्पाद, नारियल का रेशा, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ	प्रीमियम निर्यात बाजारों में विस्तार; समुद्री भोजन और काजू प्रसंस्करण में मूल्यवर्धन में सुधार
गोवा	समुद्री उत्पाद, काजू, खनिज	टैरिफ में कमी से मखाना और लीची जैसे विशिष्ट कृषि उत्पादों के साथ-साथ मूल्यवर्धित प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है; भागलपुर रेशम और मधुबनी कला का प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार; लघु एवं मध्यम उद्यमों और ग्रामीण कारीगरों की आय में बढ़ोतरी; कृषि-प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण और निर्यात उत्पादों में विविधता।
बिहार	कृषि आधारित उत्पाद (चावल, मक्का, मखाना, लीची), वस्त्र (भागलपुरी रेशम), चमड़ा एवं जूते, हस्तशिल्प (मधुबनी चित्रकला), प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ	धातु निर्यात में बेहतर लाभ; तटीय आजीविका और अनुगामी प्रसंस्करण को सहयोग।
ओडिशा	समुद्री उत्पाद, धातुएं (एल्युमिनियम, इस्पात)	बद्दी, नालागढ़, सोलन फार्मा क्लस्टर और कुल्लू एवं किन्नौर के पारंपरिक ऊन आधारित उत्पादों को प्रोत्साहन; निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार।
हिमाचल प्रदेश	औषधीय उत्पाद, ऊनी वस्त्र	धातु उद्योगों में निर्यात की व्यवहार्यता और मूल्यवर्धन में बढ़ोतरी।
छत्तीसगढ़	लोहा और इस्पात उत्पाद	औद्योगिक क्लस्टरों (हरिद्वार, देहरादून) में बढ़ोतरी; निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार।
उत्तराखंड	औषधीय उत्पाद, प्लास्टिक, मशीनरी	वैश्विक धातु मूल्य श्रृंखलाओं में सुदृढ़ एकीकरण। लघु एवं मध्यम उद्यम मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर बाजार पहुंच और निर्यात विस्तार से लाभ।
झारखंड	लोहा और इस्पात, तांबे के उत्पाद	सुगम उद्यम इंजीनियरिंग निर्यात और विशिष्ट विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं को प्रोत्साहन।
पुदुचेरी	औषधीय उत्पाद, रबर उत्पाद	कालीन, सेब, अखरोट की वैश्विक दृश्यता और निर्यात में बढ़ोतरी; ग्रामीण आजीविका को सहयोग।

चंडीगढ़	मशीनरी, औजार	विशिष्ट और जीआई उत्पादों की बेहतर पहुंच; वैश्विक बाजारों में क्रमिक एकीकरण और ग्रामीण विकास।
जम्मू एवं कश्मीर	हस्तशिल्प, केसर, बागवानी	हस्तशिल्प, केसर, बागवानी
अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम	चाय, बांस उत्पाद, जैविक कृषि, मसाले	चाय, बांस उत्पाद, जैविक कृषि, मसाले

निष्कर्ष

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता भारत की व्यापार कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो व्यापक आर्थिक सहयोग के नए रास्ते खोलता है। भारतीय वस्तुओं के लिए बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित करके, सेवाओं और परिवहन के मौकों का विस्तार करके, और कृषि, निवेश और उभरते क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करके, यह समझौता अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ठोस और व्यापक लाभ प्रदान करता है।

किसानों और लघु एवं मध्यम उद्यमों से लेकर छात्रों और कुशल पेशेवरों तक, इस समझौते से होने वाले लाभ व्यापक होने की उम्मीद है, जो एक विश्वसनीय, दूरदर्शी वैश्विक भागीदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा और वैश्विक स्तर पर एकीकृत विकसित भारत **2047** की परिकल्पना को आगे बढ़ाएगा।

संदर्भ

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2207300&lang=2&reg=3
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2255739&reg=3&lang=1
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2236134&reg=3&lang=1

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशासन
https://www.trade.gov/free-trade-agreement-overview

पीआईबी अभिलेखागार
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=156654&lang=2&reg=3

पीआईबी शोध

***

एमजी/केसी/एमएम